राजस्व लोक अदालत केम्प तिलवाड़ा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 54/2018 2018/01412

वादीगण :– 1 उमाराम, घेवरचंद पुत्र बाण्डाराम जाति माली, निवासी बोरावास

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. तहसीलदार पचपदरा जरिये राजसरकार

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरुद्ध

आदेश दिनांकः–14.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत तिलवाडा में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम बोरावास के खसरा न0 495/205, 499/209, 291, 496/205, 501/209 मे मे अपीलाण्ट के पिता फौत होने के पश्चात् जरिये नामान्तरकरण संख्या 70 दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का अशुद्व नाम उदाराम, गंगाराम दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार उमाराम व घेवरचंद है अतः अपीलाण्ट का सही नाम उमाराम व घेवरचंद करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता उमाराम व घेवरचन्द प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, राशकार्ड, परिचय पत्र व पटवारी तिलवाडा /आरआई तिलवाड़ा /उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे उदाराम, गंगाराम की जगह उमाराम व घेवरचंद नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम उदाराम, गंगाराम की जगह उमाराम व घेवरचंद करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो !

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प... तिलवाड़ा

Scanned by CamScanner